राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 1011/2024

अविनाश कुमार ढिलन पुत्र श्री हरफूल सिंह ढिलन, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम किशनपुरा, पोस्ट शिशु, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिए प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग (प्रारंभिक), सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान ।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (नियुक्ति), प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर, राजस्थान।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए	:	श्री केशव भाटी।
प्रतिवादी (गण) के लिए	:	श्री बी.एल. भाटी, एएजी, श्री संदीप सोनी के साथ।

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान अरुण मोंगा

निर्णय

आदेश आरक्षित तिथि : 06/03/2025

सुनाए जाने की तिथि : 27/03/2025

1. याचिकाकर्ता द्वारा 19 वर्ष की आयु में अभिकथित रूप से किए गए अपराधों के सभी आरोपों से दोषमुक्त होने के बाद, वह इस न्यायालय के समक्ष एक आदेश दिनांकित (अनुलग्नक 7) को चुनौती दे रहा है, जिसके तहत शिक्षक ग्रेड III के पद के लिए उसकी अभ्यर्थिता को प्रतिवादीगण द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसका पूर्ववृत्त संतोषप्रद नहीं पाया गया था, क्योंकि वह आईपीसी की धारा 147, 323, 332, 336, 341, 353, 427, 504 और 34 के अंतर्गत दर्ज कई आपराधिक मामलों में संलिप्त था।

2. पहले, मामले के संक्षिप्त तथ्य। याचिकाकर्ता विज्ञान में स्नातक है और उसके बाद उसने वर्ष 2014 में बी.एड. पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। रीट परीक्षा के लेवल-II में बैठने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता स्नातक और बी.एड. थी। याचिकाकर्ता ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा-

2022 (रीट) परीक्षा दी और विज्ञान/गणित विषयों के लेवल-II में 84% अंकों के साथ अर्हित किया।

2.1. प्रतिवादी संख्या 2 ने शिक्षक ग्रेड-III लेवल-II (विषय विज्ञान/गणित) के पद के लिए दिनांक 16.12.2022 (अनुलग्नक-1) को एक विज्ञापन जारी किया। गैर-टीएसपी क्षेत्र के लिए कुल 5,678 पद विज्ञापित किए गए और टीएसपी क्षेत्र के लिए 1,030 पद निर्धारित थे। विज्ञापन के अनुसार, आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 19.01.2023 थी। पात्र होने के कारण याचिकाकर्ता ने अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया। उक्त पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा/एमसीक्यू 25.02.2023 को आयोजित की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने 193.4677 अंक प्राप्त किए। इसके बाद, दिनांक 07.06.2023 (अनुलग्नक-4) की एक अनंतिम चयन सूची जारी की गई और याचिकाकर्ता को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए सफल घोषित किया गया।

2.2. याचिकाकर्ता ने दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में भाग लिया और अपने दस्तावेज़ों का सत्यापन करवाया। प्रतिवादीगण ने दिनांक 23.09.2023 को एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसके तहत नियुक्तियों हेतु अनुशंसा करने के लिए संक्षिप्त सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई। याचिकाकर्ता का नाम दिनांक 23.09.2023 की मेरिट सूची (अनुलग्नक 5) में था। इसके पश्चात्, प्रतिवादी विभाग ने दिनांक 26.09.2023 (अनुलग्नक 6) का

एक आदेश जारी किया जिसके तहत चयनित अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता और वरीयता के अनुसार जिले आवंटित किए गए। याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 2561 पर अंकित था और उसे चित्तौड़गढ़ जिला आवंटित किया गया।

2.3. याचिकाकर्ता को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और उसके पूरा होने पर उन्हें शिक्षक ग्रेड- III, लेवल- II के रूप में कार्यभार संभालने के लिए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कल्याणपुरा, मुंगाणा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया। हालांकि, प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता को उपरोक्त स्थान पर सेवाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। पूछताछ करने पर, याचिकाकर्ता को पता चला कि याचिकाकर्ता की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट नकारात्मक पाई गई थी। निदेशालय, बीकानेर से स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसके बाद, प्रतिवादी जिला शिक्षा अधिकारी ने दिनांक 02.01.2024 (अनुलग्नक 7) का आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता का आपराधिक पूर्ववृत्त है, इसलिए, 04.12.2019 के परिपत्र के अनुसरण में, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। इस प्रकार उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई। याचिकाकर्ता ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए अपने अभ्यावेदन (अनुलग्नक 10 सामूहिक रूप से) प्रस्तुत किए।

3. प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में लिया गया सुसंगत अभिमत इस प्रकार है:-

3.1. यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने संबंधित परीक्षा में 193.4677 अंक प्राप्त किए, चयनित हुआ और उसे चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्कूल आवंटित किया गया, जैसा कि रिट याचिका में ही उल्लेख किया गया है। हालाँकि, याचिकाकर्ता के विरुद्ध चार आपराधिक मामलें दर्ज किए गए थे। याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामलों में लगाए गए सभी आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं। यह स्थापित कानून है कि मात्र अभिकथित अपराधों का प्रकटन और विचारण का परिणाम पर्याप्त नहीं है, और नियोक्ता को ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, परिवीक्षा के दौरान भी, यदि विभाग पाता है कि किसी कर्मचारी की सेवाएं लोक कल्याण के हित में नहीं हैं। नियोक्ता को रिपोर्ट में चरित्र के आधार पर उस अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि दोषमुक्त किए जाने के तथ्यों और इन तथ्यों के प्रकटन पर विचार किया जा सकता है। इन तथ्यों को प्रतिवादीगण द्वारा पहले से ही विचार में लिया जा चुका है। इस प्रकार, परिपत्र और स्थापित कानूनी प्रतिपादनाओं के परिप्रेक्ष्य में, समिति, याचिकाकर्ता के पिछले आपराधिक मामलों पर विचार करने के बाद, समिति के कार्यवृत्त दिनांक

22.12.2023 के अनुसार, संज्ञानपूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुँची कि याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए योग्य नहीं पाया गया है। अतः, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, इसी पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.05.2024 के तहत, एक पद रिक्त रखकर याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया, जो इस प्रकार है:

"नोटिस जारी करें। 06.08.2024 को वापसी योग्य।

नामनिर्दिष्ट अधिवक्ता के माध्यम से सेवा करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस बीच, प्रतिवादीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि चूंकि याचिकाकर्ता को उस अपराध में दोषमुक्त कर दिया गया है, जिसके तहत उस पर सुसंगत समय में एक सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा था, इसलिए उसके मामले पर इस न्यायालय द्वारा पतराम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 18747/2019, 30.01.2024 में दिए गए निर्णय के आलोक में प्रशासनिक पक्ष से विचार किया जाएगा। इस कार्यवाही का लंबित रहना, अड़चन नहीं माना जाएगा। यह भी स्पष्ट है कि यह याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी तरह की गलत बयानी या छिपाने का मामला नहीं है क्योंकि उसने प्रतिवादीगण के समक्ष लंबित आपराधिक मामले के बारे में विधिवत प्रकटन किया था।

इस बीच, प्रश्नगत पद, जिस पर याचिकाकर्ता का चयन किया गया है, को नहीं भरा जाएगा।

5. आगे बढ़ने से पहले, आइए सबसे पहले उन पुराने मामलों पर नज़र डालें, जो याचिकाकर्ता के विरुद्ध वाद दायर नहीं करने का कारण हैं। याचिकाकर्ता की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता के विरुद्ध चार आपराधिक मामले दर्ज थे।

(i) एफआईआर के सारांश नीचे दिये गए हैं-

क्र.सं.	पुलिस स्टेशन	एफआईआर संख्या और दिनांक	धाराएँ	विचारण का प्रक्रम
1	कोतवाली जिला सीकर	371/2015 06.07.2015	147 व 427 भारतीय दंड संहिता	दोषमुक्त
2	कोतवाली जिला सीकर	587/2015 30.09.2015	332, 353 व 504 भारतीय दंड संहिता	दोषमुक्त
3	कोतवाली जिला सीकर	664/2015 06.11.2015	341, 323 व 336 भारतीय दंड संहिता	दोषमुक्त
4	कोतवाली जिला सीकर	325/2021 12.07.2021	323, 341 व 34 भारतीय दंड संहिता	दोषमुक्त

(ii) उपर्युक्त मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

"(1) मिलन भारती नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक लिखित परिवाद पर, याचिकाकर्ता और नौ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 427 के अंतर्गत एफआईआर संख्या 371/2015 दर्ज की गई थी। सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए और परिवादी द्वारा प्रस्तुत समझौते के आधार पर, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ने अपने आदेश दिनांकित 07.04.2022 के माध्यम से याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

(2) आशीष कुलहरि द्वारा याचिकाकर्ता और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 और 336 के अंतर्गत दायर एक लिखित परिवाद के अनुसरण में एक और एफआईआर संख्या 664/2015 दर्ज की गई। याचिकाकर्ता एक निर्दोष व्यक्ति है जिसे परिवादी द्वारा जानबूझकर फंसाया गया था। यह परिवाद झूठे और तुच्छ तथ्यों पर आधारित थी, इसलिए परिवादी ने समझौता प्रस्तुत किया और उसी के आधार पर, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ने अपने आदेश दिनांकित 28.03.2023 के माध्यम से याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

(3) तीसरी एफआईआर संख्या 587/2015, एक लिखित परिवाद के अनुसरण में डॉ. जीएस कलवानिया द्वारा याचिकाकर्ता और एक अन्य

व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 353 और 504 के अंतर्गत दर्ज की गई थी। परिवाद झूठे और तुच्छ तथ्यों पर आधारित थी, इसलिए सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए और किसी भी साक्ष्य के अभाव में, विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ने अपने आदेश दिनांकित 04.05.2023 के माध्यम से याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

(4) चौथी एफआईआर संख्या 325/2021, याचिकाकर्ता और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 और 34 के अंतर्गत एक लिखित परिवाद के अनुसरण में दर्ज की गई थी कि याचिकाकर्ता एक निर्दोष व्यक्ति है जिसे परिवादी द्वारा जानबूझकर फंसाया गया था। परिवाद झूठे और तुच्छ तथ्यों पर आधारित था, इसलिए परिवादी ने समझौता प्रस्तुत किया और उसी के आधार पर, लोक अदालत के विद्वान न्यायिक सदस्यों ने अपने आदेश दिनांकित 11.09.2021 द्वारा याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

6. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिवादी पक्ष की दलीलें सुनी हैं और केस पत्रावली का परिशीलन किया है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 256 का हवाला दिया। नियम, पूर्वोक्त, रोजगार के लिए

किसी व्यक्ति की पात्रता शर्तों से संबंधित है और उनका तर्क है कि इसके परिशीलन मात्र से यह स्पष्ट है कि यह नियम याचिकाकर्ता को नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं बनाता, जब तक कि पदधारी को नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो। नियम 256, पूर्वोक्त, की प्रासंगिकता नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

"256. रोजगार के लिए अपात्र व्यक्ति-

(1) कोई भी व्यक्ति पंचायती राज संस्था में स्थायी, अस्थायी या अंशकालिक हैसियत में नियोजित नहीं किया जाएगा, यदि वह-

(क) अच्छे चरित्र का नहीं है, या

(ख) किसी अन्य पंचायती राज संस्था या किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य या केन्द्र सरकार की सेवा से कदाचार के कारण बर्खास्त कर दिया गया हो, या

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है; या

(घ) किसी पंचायती राज संस्था या किसी नगर पालिका का सदस्य है, या

(ङ) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसकी आयु 18 वर्ष से कम या [1][35] वर्ष से अधिक हो। परंतु अंशकालिक कर्मचारियों के लिए न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबंध लागू नहीं होगा, या

(च) पंचायत के किसी सदस्य का पुत्र, पौत्र, सगा भाई या अन्य निकट संबंधी है:

परन्तु किसी कर्मचारी को सेवामुक्त नहीं किया जाएगा, यदि उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसका कोई संबंधी ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है।"

7.1. उन्होंने आगे तर्क दिया कि उपर्युक्त संदर्भित नियम के परिशीलन मात्र से ही यह स्पष्ट है कि उक्त नियम उन मामलों से संबंधित है जहाँ अभ्यर्थियों को दोषसिद्ध किया गया है और कारावास से दंडित किया गया है। जबकि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को दोषसिद्ध तो किया ही नहीं गया है, जुर्माना तो दूर की बात है। वर्तमान में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई मामला लंबित नहीं है। नियम 256 का प्रावधान विशेष रूप से कहता है कि केवल तभी जब पदधारी को नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.2. उनका तर्क है कि प्रतिवादीगण को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है और याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता खारिज करने से पहले उक्त मार्गदर्शक सिद्धांत की अनदेखी की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

7.3. इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिनांक 16.12.2022 के विज्ञापन की शर्त संख्या 12 "नियुक्ति के लिए अयोग्यता" से संबंधित है। शर्त संख्या 12(v) में निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे मामले जहाँ पदधारी को नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जबकि, याचिकाकर्ता को उसकी अभ्यर्थिता को खारिज करने वाले दिनांक 02.01.2024 (अनुलग्नक 7) के आक्षेपित आदेश के पारित होने से बहुत पहले ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था।

7.4. उन्होंने आगे दलील दी कि दिनांक 04.12.2019 का परिपत्र (अनुलग्नक 9) केवल उन स्थितियों से संबंधित है जहाँ किसी भी अभ्यर्थी को उसके दोषसिद्ध होने पर या किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित होने पर विवर्जित किया जा सकता है। इस प्रकार, दिनांक 04.12.2019 के परिपत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए पूर्णतः पात्र है।

7.5. वैकल्पिक रूप से, यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादीगण को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 04.12.2019 का परिपत्र वैधानिक प्रकृति का नहीं है। यह 1996 के नियमों के प्रभाव को रद्द नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों की

श्रृंखला में अभिनिर्धारित किया है कि सेवा क्षेत्र की अधिकारिता में, सेवा नियम ही अभिभावी होते हैं। सरकारी संकल्प या परिपत्र हो सकते हैं, लेकिन वे नियमों के अनुरूप होने चाहिए या उन्हें स्पष्ट करने वाले होने चाहिए, न कि उनके विरोध में। दिनांक 04.12.2019 के परिपत्र द्वारा प्रसारित निर्णय एक प्रशासनिक निर्णय है और यह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 256 के अंतर्गत विहित वैधानिक प्रावधान पर अभिभावी नहीं हो सकता।

7.6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि भले ही याचिकाकर्ता के अच्छे चरित्र पर कोई संदेह था, फिर भी उसे दोषमुक्त किए जाने के बाद वह पूरी तरह से आरोपों से मुक्त हो गया। वह अपने दलीलों के समर्थन में ***सुखजीत सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य***[1] मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देंगे। उनका तर्क है कि दोषमुक्त होना तो दोषमुक्त होना ही है और

---

1 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय - सीडब्ल्यूपी संख्या 9808/2003

मात्र इसलिए कि याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ दिया गया था या उसे समझौते के आधार पर दोषमुक्त किया गया था, प्रतिवादी उसे इस भ्रामक

तर्क के आधार पर नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकते कि उसे सम्मानपूर्वक दोषमुक्त नहीं किया गया है।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि यदि कोई अभ्यर्थी किसी आपराधिक मामले में संलिप्त है, तो वह नियुक्ति का हकदार नहीं है क्योंकि वह नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार सुदृढ़ चरित्र के मानदंडों को पूरा नहीं करता। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अच्छे चरित्र की आवश्यकता अनिवार्य है। अन्यथा भी, किसी अभ्यर्थी के चरित्र के आधार पर उसकी उपयुक्तता का पता लगाना नियोक्ता का अधिकार है। अपने समर्थन में उन्होंने ***पुलिस आयुक्त बनाम राज कुमार***[2] मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया।

8.1. उनका तर्क है कि नियोक्ता को पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है और उसे किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही वह दोषमुक्त हो जाए। याचिकाकर्ता के पूर्ववृत्त 04.12.2019 के परिपत्र में दिए गए अनुसार संतोषजनक नहीं पाए गए, जो कि 04.12.2019 के परिपत्र के अनुसरण में गठित समिति के निर्णय से पुष्ट होता है। गहन परीक्षण के बाद, समिति ने याचिकाकर्ता को नियुक्ति न देना उचित नहीं पाया है, और शिक्षक ग्रेड- III, लेवल- II (विज्ञान/गणित) के पद के लिए उसकी अभ्यर्थिता को सही रूप से खारिज कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को खारिज करने के कारणों का उल्लेख 22.12.2023 के कार्यवृत्त में किया गया है, जो ***दिल्ली प्रशासन बनाम सुशील कुमार***[3] के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर आधारित हैं। किसी आपराधिक मामले में पक्षकारों के बीच समझौते या

---

2 (2021) 8 एससीसी 347

3 1996(11) एससीसी 605

साक्ष्य के अभाव के आधार पर बरी किया गया अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने का समर्थन नहीं करता है।

9. उपर्युक्त के आलोक में, मैं अब प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर अपना मत प्रस्तुत करने हेतु, आदेश के पूर्ववर्ती भाग में कारणों एवं विवेचना को अभिलिखित करते हुए, आगे बढ़ता हूँ ।

10. ***पुलिस आयुक्त बनाम राज कुमार (सुप्रा)*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया भरोसा इस तथ्य के मद्देनजर अप्रासंगिक प्रतीत होता है कि उस मामले में (राज कुमार के मामले में) स्क्रीनिंग समिति ने यह निष्कर्ष दिया था कि अपराधों की प्रकृति और याचिकाकर्ता को दी गई भूमिका सीधे तौर पर उसके द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों पर प्रभाव डालती है और नैतिक अधमता के समान है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज कुमार को दोषमुक्त किये जाने की

परिस्थितियों पर विचार करने के स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले को बरकरार रखा, जिन पर आपराधिक अतिचार, चोरी और हमले का आरोप था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्क्रीनिंग समिति को केवल दोषमुक्ति तक सीमित न रहकर, उससे परे उपयुक्तता का आकलन करने का अधिकार प्राप्त था।

11. अब वर्तमान मामले पर आते हुए। यहाँ निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति, जिसके तीन सदस्य (i) संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (ii) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अवकाश आरक्षित बीकानेर (iii) संयुक्त विधिक सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर थे, ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 20.12.2023 में विचार व्यक्त किया कि चूँकि याचिकाकर्ता गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामलों में संलिप्त है, इसलिए वह प्रश्नगत पद के लिए विचार किए जाने का हकदार नहीं है। समिति की उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 3- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 02.01.2024 (अनुलग्नक R/1) के तहत याचिकाकर्ता को नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त और अपात्र माना।

12. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रतिपादना निर्विवादित है कि जो व्यक्ति शिक्षा विभाग में शामिल होना चाहता है, उसका चरित्र और

सत्यनिष्ठा निष्कलंकित होनी चाहिए और यदि किए गए अपराध में नैतिक अधमता शामिल है, तो नौकरी की संवेदनशील प्रकृति, जो आनुशासनिक बल रखती है, को देखते हुए नियोक्ता को उसकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार करने का अधिकार है, जिसके लिए अनुशासनात्मक बल लगाए जाते हैं।

13. साथ ही, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मात्र एफआईआर दर्ज होने से किसी नागरिक की प्रतिष्ठा कम नहीं होती या उसके चरित्र पर आक्षेप नहीं लगता। दोषी साबित होने तक प्रत्येक व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। वर्तमान मामले में, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता को सभी लंबित आपराधिक मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया है। यह दोषमुक्ति इंगित करती है कि याचिकाकर्ता को किसी भी आपराधिक आचरण का दोषी नहीं पाया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को दी गई अभिकथित भूमिका उसके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति पर कोई महत्वपूर्ण भार या प्रभाव नहीं रखती है। किसी भी नैतिक अधमता या कदाचार का कोई संकेत नहीं है जो याचिकाकर्ता की प्रश्नगत भूमिका के लिए योग्यता को जर्जरित करेगा। इस प्रकार, दोषमुक्ति याचिकाकर्ता की निर्दोषिता को दर्शाता है, और ना ही उनकी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए उनकी ईमानदारी या क्षमता पर सवाल उठाने का कोई वैध कारण है।

14. ***राकेश यादव बनाम भारत संघ एवं अन्य*** [4] मामले में, याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध 20 वर्ष की आयु में नियुक्ति से

---

4 पी & एच उच्च न्यायालय, सीडब्ल्यूपी संख्या 24254/2015 (ओ एंड एम), 02.07.2019 को निर्णय लिया गया

पूर्व व्यक्तिगत रंजिश के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 147 के अंतर्गत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। आपराधिक मामले का प्रकटन न करने के कारण पुलिस अधिकारी के रूप में उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई थी। इसी पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि कौटुम्बिक विवाद से उत्पन्न मामले का प्रकटन न करना, जिसके परिणामस्वरूप उसे दोषमुक्त कर दिया गया, सेवा समाप्ति को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता, विशेष रूप से जब घटना कम उम्र में हुई हो और उसमें नैतिक अधमता या वृत्तिक कदाचार शामिल न हो। इसमें अभिलिखित सुसंगत टिप्पणियाँ और तर्क नीचे पुनः प्रस्तुत हैं:

> *"12. अभिलेख का परिशीलन करने से पता चलता है कि आईपीसी की धारा 323 और 147 के अंतर्गत आपराधिक मामला याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया था। यह इस तथ्य से भी सुस्पष्ट है कि याचिकाकर्ता सहित परिवार के सभी सदस्यों को उक्त मामले में अभियुक्त बनाया गया था। अन्यथा भी, मामले में समझौता हो*

गया था और विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 17.03.2011 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया था। एक लघु अपराध में आपराधिक कार्रवाई के लंबित रहने को याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति का आधार नहीं बनाया जा सकता। विशिष्टतया, यह देखते हुए कि जब मामला दर्ज किया गया था तब याचिकाकर्ता की आयु केवल 20 वर्ष थी। इस प्रसंग में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'पुलिस आयुक्त एवं अन्य बनाम संदीप कुमार' शीर्षक से सिविल अपील संख्या 1430/2007 में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है:-

> *"हम दिल्ली उच्च न्यायालय से सम्मानपूर्वक सहमत हैं कि उसकी अभ्यर्थिता रद्द किया जाना अवैध था, लेकिन हम इस मामले में अपनी राय देना चाहते हैं। जब यह घटना घटी, तब प्रतिवादी की आयु 20 वर्ष रही होगी। इस उम्र में युवा अक्सर गलतियां कर बैठते हैं और ऐसी गलतियां अक्सर माफ की जा सकती हैं। आखिर युवा तो युवा ही होते हैं। उनसे बड़ों जितना परिपक्व व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जाती। इसलिए, हमारा दृष्टिकोण युवाओं द्वारा की गई छोटी-मोटी गलतियां माफ करने का होना चाहिए, न कि उन्हें जीवन भर के लिए अपराधी करार देने का।"*

13. इस आरोप के संबंध में कि याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीएफ फॉर्म 25 के अनुसार भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरते समय लंबित आपराधिक प्रकरण का प्रकटन करने में विफल रहा, उस

सुसंगत समय में याचिकाकर्ता की 20 वर्ष की तरूण आयु को देखते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील में कुछ दम है कि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा किया जाना सद्भावपूर्ण था। याचिकाकर्ता इस भ्रांत धारणा में था कि सह-अभियुक्त होने और एक छोटे से पारिवारिक झगड़े के कारण तथा आपराधिक मामले में जमानत मिलने से भी उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है और उसने वास्तविक भूलवश इसका प्रकटन नहीं किया।

14. सामान्य अनुक्रम में दिए गए स्पष्टीकरण में इतनी विश्वसनीयता नहीं होती कि जिस पर विश्वास किया जाए, हालाँकि, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, याचिकाकर्ता उस सुसंगत समय में लगभग 20 वर्ष का था और इसलिए, पूरी संभावना है कि उसने अपेक्षित जानकारी का प्रकटन न करना अहानिकर समझा होगा। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में, नरेश बलिराम इंगले बनाम कमांडेंट सीआईएसएफ एनएलसी नेवेली तमिलनाडु, 2012(11) एससीटी 800 शीर्षक के एक मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान भ्राता बी. राजेंद्रन, न्यायमूर्ति ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

> *"10. घटना के समय प्रतिवादी की आयु लगभग 20 वर्ष रही होगी। इस उम्र में, युवा अक्सर अविवेकपूर्ण कृत्य करते हैं, और ऐसी कृत्यों को अक्सर माफ भी किया जा सकता है। आखिरकार, युवा तो युवा ही रहेंगे। उनसे बड़ों की तरह परिपक्व व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती। इसलिए, हमारा दृष्टिकोण युवाओं द्वारा किये गए छोटे-मोटे*

अविवेकपूर्ण कृत्यों को माफ करने का होना चाहिए, न कि उन्हें जीवन भर के लिए अपराधी करार देने का।"

15. मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई अविवेकपूर्ण कृत्य की प्रकृति को थोड़ा नरम दृष्टिकोण से क्यों न लिया जाए। हालाँकि, यहाँ एक चेतावनी देना अनुचित नहीं होगा, ताकि इसे एक मिसाल न माना जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक मामले को उसके अपने विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में देखा जाना चाहिए और इसलिए, किसी भी तरह से यह नहीं माना जाना चाहिए कि कम उम्र में किये गए अविवेकपूर्ण कृत्य को केवल इसलिए माफ कर दिया जाना चाहिए क्योंकि युवावस्था कुछ हद तक नरमी की हकदार है।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक मामले को उसके अपने विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में देखा जाना चाहिए और इसलिए, किसी भी तरह से यह नहीं माना जाना चाहिए कि कम उम्र में की गई अविवेकपूर्णता को केवल इसलिए माफ कर दिया जाना चाहिए क्योंकि युवावस्था कुछ हद तक नरमी की हकदार है।

15. ***पतराम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 18747/2019***, 30.01.2024 को निस्तारित) शीर्षक के मामले में एक अन्य निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, यद्यपि कुछ अलग परिस्थितियों में, लेकिन इसमें व्यक्त विचार वर्तमान मामले में भी लागू होते हैं। इसका प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"6. याचिकाकर्ता के मामले को इसके गुणावगुण के आधार पर देखते हुए, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया के अनुसार, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर के संबंध में कोई जानकारी नहीं छिपाई। कार्यभार ग्रहण करने से पहले, उन्होंने स्वेच्छा से पुलिस स्टेशन अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 406, 323, 354 के अंतर्गत दर्ज एफआईआर संख्या 309/2019 का प्रकटन किया था, जिसकी शुरुआत वैवाहिक कलह के कारण उनकी अलग रह रही पत्नी ने की थी। इसके अतिरिक्त, इस एफआईआर से संबंधित आपराधिक मुकदमा याचिकाकर्ता को दोषमुक्त किए जाने के साथ समाप्त हो गया है।

7. इस स्तर पर याचिका को अनुमति न देने का एकमात्र विरोध प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवतार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2016 (8) एससीसी 471 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है।

8. उपरोक्त निर्णय का परिशीलन करके, यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अभ्यर्थी को दोषसिद्धि, दोषमुक्ति, गिरफ्तारी या लंबित आपराधिक मामलों के बारे में अपने नियोक्ताओं को, नियुक्ति से पहले और बाद में, बिना किसी छिपाव या मिथ्या कथन के, सत्यता से प्रकटन करना चाहिए। नियोक्ताओं को, मिथ्या जानकारी के कारण सेवाएं समाप्त करते या अभ्यर्थिता रद्द करते समय, विशेष परिस्थितियों और संबंधित सरकारी नियमों पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता के बारे में जानकारी छिपाई जाती है या गलत जानकारी दी जाती है, तो उसकी प्रकृति के आधार पर समुचित

कार्यवाही की जानी चाहिए। अनुप्रमाणन/सत्यापन प्रपत्रों की सटीकता और विशिष्टता महत्वपूर्ण है, और जानकारी को छिपाने या गलत सुझाव देने के लिए दोषिता हेतु अभिसंबद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। नियोक्ता, निस्संदेह, प्रकटित जानकारी पर विचार करने में अपना विवेकाधिकार बनाए रख सकते हैं और सत्य का प्रकटन होने पर भी अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं, विशेषतया कई लंबित मामलों या गंभीर आपराधिक अपराधों वाले मामलों में।

16. युवाओं के प्रति क्षणिक आवेश में की गई उन अविवेकपूर्ण कृत्यों के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो जानबूझकर की गई हों या नहीं भी। सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण, निश्चित रूप से अपराध की प्रकृति पर निर्भर करते हुए, ऐसा होना चाहिए कि युवावस्था में की गई अविवेकपूर्ण कृत्य किसी व्यक्ति के भविष्य को स्थायी रूप से कलंकित न करें। ऐसे युवाओं को नियुक्त करते समय एक करुणामय और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिन्होंने छोटे-मोटे उल्लंघन किये हो। युवा, विशिष्टतया जो अपनी किशोरावस्था के अंतिम चरण और बीस के दशक के आरंभ में होते है, वे तब भावनात्मक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया में होते हैं। इस प्रक्रम पर, वे अक्सर आवेग में आकर कार्य करते हैं, कभी-कभी बिना सोचे-समझे निर्णय ले लेते हैं। एक कठोर दंडात्मक दृष्टिकोण जो अपेक्षाकृत छोटी-मोटी गलतियों के लिए युवाओं को

स्थायी रूप से अपराधी के रूप में चिह्नित करता है, न्याय/निष्पक्षता, अपराध की पुनरावृत्ति, सुधार और समाज में उनके पुनः एकीकरण के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

17. इसके अलावा, प्रशासनिक प्राधिकार को आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। सभी अपराध समान गंभीरता के नहीं होते, और लघु अविवेकपूर्ण कृत्यों को गंभीर अपराधों के समान नहीं माना जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को अस्वीकार करने का कारण केवल यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को आपराधिक मामलों में दोषमुक्त किए जाने के बावजूद, उन आपराधिक मामलों की प्रकृति गंभीर और संगीन मानी जाती है।

18. ***सुखजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य*** [5] शीर्षक के एक मामले में भी इसी तरह का संविवाद था। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में मेरे द्वारा आनुषंगिक रूप से दिए गए एक निर्णय के अनुसार, जो दो अलग-अलग उच्च न्यायालयों [6] की खंडपीठ के निर्णयों

---

5 पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सीडब्ल्यूपी संख्या 9808/2003, दिनांक 13.08.2019 को निर्णीत

6 शशि कुमार बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, 2005(1) एससीटी 576 एवं भारत संघ बनाम जयराम, एआईआर 1860 मद्रास 325।

पर आधारित है। सुलभ संदर्भ के लिए, उससे सुसंगत जानकारी नीचे दी गई है:-

12. प्रत्येक दोषमुक्ति एक सम्मानजनक दोषमुक्ति होती है। दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कुछ नहीं है और न ही आपराधिक न्यायशास्त्र में ऐसा कोई नियम है जो अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहने पर दोषमुक्त होने पर सम्मानजनक दोषमुक्ति के प्रभावों और परिणामों पर विचार करे।

13. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने शशि कुमार बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम एवं अन्य, 2005 (1) एससीटी 576 शीर्षक के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ का हवाला देते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड न्यायशास्त्र में सम्मानजनक दोषमुक्ति या पूर्णतः दोषमुक्ति जैसे शब्द अज्ञात हैं। महामहिम न्यायमूर्ति एस.एस.निज्जर (जो उस समय इसी न्यायालय के न्यायाधीश थे) ने खंडपीठ की ओर से निम्नलिखित टिप्पणी की:-

> *7. किसी भी स्थिति में, "सम्मानजनक दोषमुक्ति" या "पूर्णतः दोषमुक्त" जैसे शब्द दंड प्रक्रिया संहिता या दंड न्यायशास्त्र में अज्ञात हैं। ये शब्द भारत संघ बनाम जयराम, एआईआर 1960 मद्रास 325 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विचारार्थ आए। मुख्य न्यायाधीश राजमन्नार ने खंडपीठ का निर्णय सुनाते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:-*

दंड प्रक्रिया संहिता में "सम्मानजनक दोषमुक्ति" जैसी कोई अवधारणा नहीं है। अभियुक्त की दोषिता को स्थापित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है, और यदि वह युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध को स्थापित करने में विफल रहता है, तो अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है।

सिविल सेवा विनियमन के अनुच्छेद 193 का खंड (बी) जो कहता है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को, जो निलंबित था, सम्मानपूर्वक दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो उसे वह पूरा वेतन दिया जा सकता है जिसका वह हकदार होता यदि उसे निलंबित नहीं किया गया होता, केवल विभागीय जांच के मामले पर लागू होता है।

जहाँ किसी कर्मचारी को उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा होने के कारण निलंबित किया गया था, और उसे उसमें दोषमुक्त कर दिया गया था, तथा पुनः बहाल कर दिया गया था, तो वह सामान्य कानून के तहत निलंबन की अवधि के दौरान पूर्ण वेतन पाने का हकदार है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 193(ख) लागू नहीं होता।"

8. मद्रास उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय पर इस न्यायालय ने जगमोहन लाल बनाम पंजाब राज्य, सचिव, पंजाब सरकार, सिंचाई एवं अन्य, एआईआर 1967 (54) पंजाब एवं हरियाणा 422 (पंजाब) के मामले में विचार किया और उसका अनुपालन किया। उस मामले में, दोषमुक्त होने पर, याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया था, लेकिन उसके निलंबन की अवधि को कर्तव्य पर बिताई गई अवधि नहीं माना गया था। इसलिए, उसने भारतीय संविधान के

अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका दायर कर दावा किया कि वह अपने निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते पाने का हकदार है। पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड /, भाग-1 के नियम 7.3, 7.5 और 7.6 के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित टिप्पणी की गई:-

(2) XXX XXX XXX

सरकार द्वारा नियम की जो व्याख्या की गई है वह गलत है। याचिकाकर्ता पर जो दोष लगाया गया था वह यह था कि उसके विरुद्ध एक आपराधिक आरोप था जिसके अधीन वह अपना विचारण भुगत रहा था। जिस क्षण उसे आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है, वह आरोप से मुक्त हो जाता है। आपराधिक कानून में, न्यायालयों को यह निर्णय लेना होता है कि अभियोजन पक्ष आरोपी की दोषिता को साबित करने में सफल रहा है या नहीं। जिस क्षण न्यायालय आरोपी के अपराध के संबंध में संतुष्ट नहीं होता है, उसे दोषमुक्त कर दिया जाता है। चाहे किसी व्यक्ति को संदेह का लाभ देकर या उस कारण से दोषमुक्त किया जाता है, परिणाम यह होता है कि उसका अपराध साबित नहीं होता है। दंड प्रक्रिया संहिता सम्मानजनक दोषमुक्ति पर विचार नहीं करती है। संहिता में केवल 'उन्मोचित' या 'दोषमुक्त' शब्द ही ज्ञात हैं। कानून की दृष्टि में किसी व्यक्ति को उन्मोचित किया जाना या दोषमुक्त किये जाने का प्रभाव एक जैसा होता है। चूंकि, आपराधिक न्याय प्रदान करने की स्वीकृत धारणाओं के अनुसार, न्यायालय को

अभियुक्त के अपराध के बारे में युक्तियुक्त संदेह से परे संतुष्ट होना होता है, अतः सामान्यतया यह माना जाता है कि न्यायालय के विचार में संदेह होने पर, अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाता है।

इसलिए, मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हूं कि नियम 7.5 का आशय सिवाय इसके और कुछ नहीं हो सकता कि "जिस क्षण वह आपराधिक आरोप जिसके कारण किसी अधिकारी को निलंबित किया गया था, न्यायालय में विफल हो जाता है, तो उसे दोषमुक्त मान लिया जाना चाहिए। कोई भी अन्य व्याख्या नियम के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगी। दोषमुक्त किये जाने के निर्णय में सम्मानजनक दोषमुक्ति या पूर्ण निर्दोष पाए जाने की उम्मीद करना व्यर्थ है। कारण स्पष्ट है; आपराधिक न्यायालय अभियुक्त की निर्दोषता का पता लगाने में सरोकार नहीं रखतीं। वे केवल यह जानने में रुचि रखती हैं कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल हुआ है या नहीं।"

19. पूर्ववर्ती भाग में मेरी चर्चा के परिणामस्वरूप तथा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका को आवश्यक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

20. ऐसा आदेश दिया जाता है।

21. प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के चयन के अनुसरण में उचित आदेश पारित करके उसे नियुक्ति पत्र जारी करें, बशर्ते कि वह चयन प्रक्रिया में योग्य और मेधावी हो, चूंकि रिट कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 02.05.2024 के अंतरिम आदेश द्वारा, एक पद को रिक्त रखने का आदेश दिया गया था।

22. याचिकाकर्ता द्वारा इस आदेश की वेब प्रिंट के साथ प्रतिवादीगण से संपर्क करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

23. अंत में, मैं शीघ्र ही यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि याचिकाकर्ता जिस अवधि तक सेवा से बाहर रहा, उस दौरान उसे "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत पर कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। हालाँकि, उसे वरिष्ठता सहित सभी काल्पनिक लाभ उसी तिथि से दिए जाएँगे जिस तिथि से उसके समकक्षों की नियुक्ति उसी चयन प्रक्रिया के तहत हुई थी जिसमें याचिकाकर्ता ने उनके साथ प्रतिस्पर्धा की थी।

24. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किये जाते हैं।

(अरुण मोंगा),जे

98-सुमित/जितेंद्र//-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हां/नहीं।

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी